

संक्षिप्त विचारण अन्तर्गत धारा 263, 264 दंड प्रक्रिया संहिता 1973
न्यायालय:- सुधीर सिंह निगवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरवाई
जिला विदिशा (म.प्र.)

दाखिल प्रकरण क्रमांक-...../22 अपराध किया जाने का दिनांक 31-7-2022
रिपोर्ट या परिवार का दिनांक 31-7-2022
परिवार की का नाम व पता आबकारी वत कुरवाई, जिला विदिशा

अभियुक्त/गण का नाम, पेशकता, और निवास
मीरा बाई W/O स्व. लोमल सिंह राजपूत उम्र 55 वर्ष
ग्राम भागोदा नाना कुरवाई

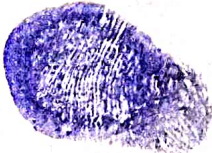
परिवादित अपराध का विवरण

1. आप आरोपी/गण ने दिनांक 31-7-2022 समय 14:50 बजे स्थान
ग्राम भागोदा आरक्षी केन्द्र कुरवाई, जिला विदिशा में अपने
आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञापि के अवैध रूप से विक्रय हेतु
10-पाव देशी मदिरा टवेन रखे हुये पाये गये। इसके द्वारा
आपने धारा 34(1)(क) म.प्र.आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन दंडनीय अपराध
किया जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है।

सुधीर सिंह निगवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.)

अभियुक्त/गण का अभिवाक एवं परीक्षण:-
मुझे स्वेच्छा पूर्णक उम्र स्वीकार है।

नि. अं. मीरा बाई



सुधीर सिंह निगवाल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.)

निर्णय
(आज दिनांक 11/10/2022 को घोषित)
निष्कर्ष

01- अभियुक्त/गण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे/उन्हें धारा 34(1)(क) म.प्र.आवकारी अधिनियम 1915 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त/गण को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश

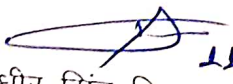
02- दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त/गण को धारा 34(1)(क) म.प्र.आवकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय अपराध में दोषसिद्धी पर न्यायालय अवसान तक की सजा एवं जुर्माने 10000/- रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त/गण को 15-15 दिवस का कठोर कारावास भुगताया जावे।

03- प्रकरण में जप्ताशुदा 10-पाव देखी मदिदा एलेन

धारा 452(4) दंड प्रक्रिया संहिता में विहित सीमावधि पश्चात् नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हरस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे आलेख पर दंकित किया गया।


11/10/2022
सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाड़ा, जिला विदिशा (म.प्र.)


11/10/2022
सुधीर सिंह निगवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
कुरवाड़ा, जिला विदिशा (म.प्र.)